## न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 77 / 2015</u> संस्थित दिनांक–05 / 11 / 2012 फाईलिंग नंबर–230303009482012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला—भिण्ड (म०प्र०) ————<u>अभियोजन</u>

वि रू द

कन्तू उर्फ ओमप्रकाश मिर्धा,
पुत्र सुंदरसिंह मिर्धा, 38 साल,
निवासी ग्राम पिपरौली थाना गोहद ......उपस्थित आरोपी

2.	अरविंद गुर्जर पुत्र हाकिमसिंह गुर्जर, निवासी कठवा गुर्जर गोहद जिला भिण्ड	(-)
3	लाखन पुत्र मायाराम शर्मा, निवासी बुद्धे का पुरा, पारसेन थाना बिजौली जिला ग्वालियर	प्रकरण धारा—317 (2) जा0फौ0 के तहत प्रथक
4.	भूरा उर्फ भंवरसिंह मिर्घा, निवासी ग्राम चंद्रपुरा थाना बिजौली जिला ग्वालियर	पूर्व आदेश दिनांक— 25/09/2013 से उन्मोचित
5.	करूआ पुत्र मायाराम गुर्जर, निवासी बुद्धे का पुरा, पारसेन थाना बिजौली, ग्वालियर	पूर्व आदेश दि—05 / 11 / 2012 से फरार

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपी कन्नू उर्फ ओमप्रकाश द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता

## -::- निर्णय -::-(आज दिनांक **04 फरबरी 2017** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. उपस्थित विचाराधीन अभियुक्त कन्नू उर्फ ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 392/398 भादिव सहपिटत 34 एवं धारा—11/13 एम0पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट का आरोप है कि उसने दि0—29—30 जून 2012 के बीच की रात्रि 02:30 से 03:20 बजे के बीच ऐंचाया रोड गोहद के डकेती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपी के साथ एक राय होकर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी श्रीमती कल्पना के घर में घुसकर एक सोने का हार, एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोडी चांदी की पाजेब (तोडिया), एवं अन्य सोने चांदी के जेवर

नगदी 28000 / —रूपये नोकिया, सैमसंग कंपनी के दो मोबाइल सभी सामान करीब डेढ लाख रूपये की लूट कारित की ।

- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म. प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था यह भी स्वीकृत है कि सह अभियुक्त भूरा उर्फ भंवरसिंह को आदेश दिनांक—25/09/2013 के अनुसार पूर्वाधिकारी द्वारा उन्मोचित किया गया है एवं आरोपीगण अरविंद एवं लाखन के विरुद्ध उनके लगातार अनुपस्थित रहने से धारा—317(2) जा०फौ० के तहत मामला प्रथक किया गया है तथा आरोपी करूआ पुत्र मायाराम आदेश दिनांक 05/11/12 से फरार घोषित किया गया है।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि 3. दिनांक-29 / 06 / 2012 को सुबह फरियादी श्रीमती कल्पना के पति अवधेश शर्मा दांत के ऑपरेशन के लिए ग्वालियर गये थे, घर पर फरियादी का लडका बंदू उर्फ सियासरण 13 वर्ष एवं बच्ची श्रीजी ढाई साल तथा फरियादी की भाभी रूचि चौबे व उनकी लडकी गौरी उम्र 03 साल थे, तभी 29-30/06/2012 की रात्रि करीब 02:30 फरियादी की आंख खुली तो देखा कि तीन लोग फरियादी के पलंग के पास खडे थे, एक की उम्र करीब 30 साल कसरती बदन, गेहुआ रंग, ऊंचाई करीब 05 फुट 08 इंच, हाथ में लोहे का करीब सवा फुट लीबर लिया था, दूसरा लडका 20–25 साल का सांवला कद करीब 5 फूट 5 इंच हाथ में माउजर बंदूक लिये था जिसके बट में पांच राउण्ड लगे थे। तीसरा व्यक्ति 20–25 साल की उम्र का दुबला पतला कद करीब 05 फुट 3 इंच, कमर में कटटा खुसरे था। मैंने गैलरी की टयुबलाइट की रोशनी जो बेटरूम के खुले दरवाजे से आ रही थी उसमें से देखा था। माउजर लिये लडके ने कहा उठो मत अलमारी की चाबी दे दो। फरियादी ने कहा चाबी कहां रखी है यादनहीं है। तब तक लंबे व्यक्ति ने लोहे के लीवर से खुली हुई गोदरेज अलमारी का लॉकर तोडकर उसमें रखे हुए गहने सोने का हार ढाई तोला, चूडी चार नग बजनी तीन तोला, मंगलसूत्र आठाना भर, एक बेंदी अठन्नी भर तथा चांदी की फरियादी की दो जोडी पायलें, बच्ची का चूडा, ब्रासलेट कुल बनी दो-सवा दो सौ ग्राम तथा कान के ईयररिंग अठन्नी भर तभी फरियादी की भाभी रूचि शर्मा का मंगलसूत्र अठन्नी भर व कान के ऑप्स अठन्नी भर बदमाशों ने ले लिया और अलमारी में रखे नगदी 28000 / – रूपये जिसमें दस के नोट की एक नई गडडी तथा फरियादी का नोकिया मोबाइल मॉडल 3110 सिम नंबर-9806234965 एवं सैमसंग कंपनी का मोबाइल नंबर-9179329011 सभी सामान कीमती करीब डेढ लाख रूपये बदमाश ले गये और कह गये कि दरवाजा बंद कर लेना। फरियादी ने करीब आधा घण्टे बाद छत से मोहल्ले वालों को आवाज दी, कोई नहीं उठा, सुबह करीब 5 बजे मुन्ना खटीक के घर जाकर उन्हें जगाया व सारी बात बतायी, तब पुलिस के आने पर रिपोर्ट लिखायी। बदमाश छत के रास्ते से सीडियों की कुंदी खोलकर नीचे आये थे।
- 4. लूट करने वालों के चले जाने के पश्चात फरियादिया श्रीमती कल्पना द्वारा सुबह करीब 05:00 बजे मौहल्ले के मुन्ना खटीक के घर जाकर घटना बताए जाने के पश्चात पुलिस उसके घर आई तब उक्त आशय की देहाती नालिसी प्र0पी0-01 थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एस. यादव द्वारा मौके पर फरियादी श्रीमती कल्पना के बताए अनुसार लेखबद्ध की गयी, जिस पर से थाना गोहद के अपराध क्रमांक-150/2012 धारा-392 भा.दं.वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत प्रदर्श पी.-13 एफ0आई0आर0 तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिए गया विवेचना के दौरान नक्शामौका प्र0पी0-

02 तथा आरोपीगण की गिरफ्तारी के पश्चात उनके द्वारा पूछताछ करने पर मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0—06 07, 10, 11 के लेखबद्ध किए उनके आधार पर उनसे वस्तुओं की जब्ती प्र0पी0—04, 05 द्वारा की गई जब्त जेवर की फरियादिया से प्र0पी0—03 मुताबिक पहचान की कार्यवाही कराते हुए साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम डकैती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर उपस्थित विचाराधीन अभियुक्त कन्तू उर्फ ओमप्रकाश के विरूद्ध के विरूद्ध धारा 392/398 भादवि सहपठित 34 एवं धारा—11/13 एम0पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपी ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया ।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
  - 1— क्या आपने दि0—29—30 जून 2012 के बीच की रात्रि 02:30 से 03:20 बजे के बीच ऐंचाया रोड गोहद के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी श्रीमती कल्पना व रूचि चौबे को लूटने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
  - 2— क्या, उक्त आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना दि0, समय व स्थान पर उक्त निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी श्रीमती कल्पना के घर में घुसकर एक सोने का हार, एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोडी चांदी की पाजेब (तोडिया), एवं अन्य सोने चांदी के जेवर नगदी 28000 / —रूपये नोकिया, सैमसंग कंपनी के दो मोबाइल सभी सामान करीब डेढ लाख रूपये की लूट कारित की

## \_::-निष्कर्ष के आधार —::-विचारणीय प्रश्न कमांक—1 एवं 2 का निराकरण

- 7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है तथा इस निर्णय द्वारा केवल आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्नू मिर्धा के संबंध में निराकरण किया जा रहा है।
  - 8. परीक्षित साक्षियों में से घटना की फरियादिया श्रीमती कल्पना अ0सा0—01 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी को पहचानने से इन्कार कर यह बताया है, कि दिनांक 30.06.12 के रात्रि के 02:30 बजे की घटना है, इस समय वह और उसकी भाभी रूचि शर्मा घर में थी, उसके पित के केंसर का इलाज ग्वालियर में चल रहा था और औपरेशन हुआ था इस कारण उसकी भाभी उसके पास रूकी थी, उसका लडका शियाशरण बाहर के कमरे में लेटा हुआ था, रात के करीब 02:30 बजे तीन लोग उसके कमरे व गैलरी में दिखाई दिए जिनमें से एक बंदूक लिए थाा, जिसने बंदूक उसकी भाभी की उपर तान दी थी, और उससे तिजोडी की चाबी मांगी था, तथा उसे पलंग से उठने नहीं दिया था, उन्होंने उनका लोकर

तोड दिया था, और उसमें से सोने का हार सोने की चार चूडियां सोने का एक ब्रेसलेट गुडिया की पायल, सोने की एक बेदी कोनों के रिंग, मंगलसूत्र, दो जोडी चांदी की पायलें तथा 28,000 / —रूपए निकाल कर लूट कर ले गए थे, भाग जाने के बाद उसके लड़के शियाशरण ने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया था मौहल्ले वालों को बताने के बाद पुलिस आई थी, तब उसने प्र0पी0—01 की रिपोर्ट लिखाई थी, पुलिस ने प्र0पी0—02 का नक्शा मौका बनाया था, पुलिस ने लूटे हए सामान की पहचान कराई थी, उसने सोने का हार मंगलसूत्र एक जोडी पायलें एक जोडी तोडिया की पहचान की थी, जो पार्षद ने कराई थी, उसका प्र0पी0—03 का शिनाख्ती मेमो बनाया था, साक्षिया ने प्र0पी0—01 लगायत 03 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी बताए है, और जेवर टी.आई. द्वारा घर पर लाकर दिखाना कहा है तभी उसने पहचानना भी बताया है, और कहीं पहचान होने से उसने इन्कार किया है।

- 9. श्रीमती रूचि चौबे अ०सा०-०२ ने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी की पहचान करने से इन्कार कर यह कहा हे, कि कल्पना उसकी ननद है, और कल्पना के पित के केंसर का औपरेशन ग्वालियर में हुआ था, इसलिए वह अपनी ननद के यहां रूकी थी, दिनाक 30.06.12 के रात ढाई बजे की घटना उसने भी बताई और यह कहा है, कि वह उस समय कल्पना के घर पर थी, तब पांच छः लोग घर में घुस आए थे, उनमें से एक ने उस पर व कल्पना पर बंदूक तानी थी, और एक ने तिजोरी की चाबी मांगी थी, उन्होंने चाबी नहीं दी तो लुटेरों ने तिजोरी तोड दी थी, और उसमें रखा सोने चांदी के जेवरात व 28,000/-रूपए नगदी आदि सामान लेकर भाग गए थे, लुटेरे मुंह बांधे हुए थे, इसलिए उन्हें पहचान नहीं पाई थी, साक्षिया ने आरोपी का अन्य लुटेरो के साथ मिलकर घटना कारित करने से इन्कार किया है।
- अ०सा०–01 व 02 दोनों ही घटना की महत्वपूर्ण साक्षी है, क्योंकि उनके 10. साथ लूट की घटना घर में घुसकर आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करते हुए घटित किया जाना बताई गई है, अभियोजन के प्र0पी0-01 के देहाती नालसी रिपोर्ट जिसके आधार पर प्र0पी0–13 की असल कायमी की जाना ए०एस0आई0 जयसिंह अ०सा0–11 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताई है, जिसमें घर में घुसकर आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करते हुए जिन लोगों द्वारा लूट की घटना भय उत्पन्न करते हुए कारित की जाना बताई है, उनके कद काठी हुलिया और उम्र का उल्लेख प्र0पी0-01 और 13 में है, किंतु रिपोर्टकर्ता श्रीमती कल्पना शर्मा और मुख्य चक्षुदर्शी साक्षी व पीडित श्रीमती रुचि ने जो न्यायलयीन अभिसाक्ष्य दिए है, उनमें किसी भी लूट करने वाले का कद काठी हुलिया उम्र आदि नहीं बताई है, न ही विचाराधीन आरोपी को पहचाना है, अ०सा०-01 के मुताबिक लूट करने वाले तीन लोग थे, और अ0सा0–02 के मुताबिक 5–6 थे रिपोर्ट में तीन बताए है, हालांकि उक्त विरोधाभाष महत्वपूर्ण नहीं है, किंत् पहचान न होना अभियोजन की कमी को दर्शाता है, प्रकरण की विवेचना करने वाले ए०एस०आई० एन०सी० यादव अ०सा०–१० और टी०आई० जे०एस० यादव अ०सा०–०९ ने भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तों के गिरफतार होने के पश्चात उनकी कोई शिनाख्ती परेड अ०सा०–०1 व 02 से धारा–09 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नहीं कराई है, ऐसे में

5

अ0सा0—01 व 02 के अभिसाक्ष्य से केवल इतनी ही पुष्टि होती है, कि दिनांक 29—30 जून 2012 की दरिम्यानी रात में ढाई से साड़े तीन बजे के दरिम्यान फिर्यादिया श्रीमती कल्पना के ऐंचाया रोडा गोहद स्थिति मकान में आग्नेय शस्त्र से सुसिज्जित होकर तीन या उससे अधिक लोगों ने लूट की घटना कारित की किंतु उसमें विचाराधीन आरोपी शामिल था, ऐसा उनके अभिसाक्ष्य से कतई स्थापित और प्रमाणित नहीं होता है, आरोपी को किस आधार पर पकड़ा गया यह मूल्यांकित करते हुए यह देखना होगा कि उसके संबंध में अभियोजन द्वारा जो शेष साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, क्या उससे श्रीमती कल्पना और रूचि के साथ घाटित हुई उक्त लूट की घटना में आरोपी भी शामिल था, इसे सूक्ष्मता से शिनाख्ती के अभाव में विश्लेषित करने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि जो कद काठी हुलिया उम्र रिपोर्ट में अंकित है, उसकी पुष्टि अ0सा0—01 व 02 ने नहीं की है अ0सा0—01 एवं विवेचक अ0सा0—09 के अभिसाक्ष्य में प्र0पी0—02 नक्शा मौक की पुष्टि की गई है, और नक्शा मौका में बताया गया घटनास्थल पर कोई विवाद नहीं किया गया है, जिससे घटनास्थल थाना गोहद के क्षेत्रांतर्गत होकर डकेती प्रभावित क्षेत्र में आना अवश्य प्रमाणित है।

- जहां तक माल शिनाख्ती का प्रश्न है, माल शिनाख्ती के संबंध में 🙅 प्र0पी0—03 का ज्ञापन पार्षद विनोद अ0सा0—04 के द्वारा अनुसंधान के दौरान पहचान के आधार पर तैयार किया जाना अभियोजन द्वारा बताया गया है, जिसके प्र0पी0-03 मुताबिक साक्षी मुन्नाखटीक, जवानसिंह और पहचानकर्ता श्रीमती कल्पना एवं उसका पति अवधेश को बताया गया है, साक्षी जवानसिंह एवं पहचानकर्ता अवधेश अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं हुए है, और साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०–०५ ने पक्षविरोधी होते हुए प्र०पी०–०३ की शिनाख्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है, और पुलिस द्वारा थाने पर 14–15 कांगजों में हस्ताक्षर करा लेना कहा है, पहचानकर्ता श्रीमती कल्पना अ०सा०-०1 ने जेवर टी०आई० साहब द्वारा घर लाकर दिखाए जाने पर पहचानना कहे है, तक केवल उसके ही जेवर थे, अन्य कहीं उसने पहचान नहीं की, और यह कहा कि मौहल्ले के उसके पति के दोस्त के सामने पहचान हुई थी, जी टी0आई0 के साथ ही आए थे, जबिक प्र0पी0-03 मुताबिक शिनाख्ती की कार्यवाही बीजासेन माता मंदिर के पास कराई जाना उल्लेखित किया गया है, जिसका न तो श्रीमती कल्पना अ०सा०–०1 समर्थन करती है, न ही पार्षद विनोद अ0सा0-04 ने पुष्टि की है, और टी0आई0 जे० एस० यादव अ०सा०–०९ ने फरियादिया श्रीमती कल्पना के इस कथन का खण्डन भी नहीं किया, जिसमें वह जेवर उनके द्वारा घर ले जाकर दिखाए जाने पर पहचानना कह रही है, ऐसे में मालशिनाख्ती की कार्यवाही विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है, बल्कि दुषित है, जिससे प्र0पी0-03 प्रमाणित नहीं होता है।
- 12. प्रकरण में चूंकि केवल आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्नू का ही निराकरण हो रहा है, इसलिए अन्य फरार व अनुपस्थित अभियुक्त अरविन्द्र, लाखन, करूआ से संबंधित दस्तावेजों व साक्षियों के अभिसाक्ष्य को विश्लेषण में नहीं लिया जा रहा है, इसलिए परीक्षित साक्षी ए०एस०आई० मूलचरन अ०सा०–०६, आर० राजेन्द्र अ०सा०–०७, के अभिसाक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है न ही प्र०पी०–०४, ०६, ०९, एवं १० को विश्लेषण में लिए जाने की आवश्यकता है, उन्हें संबंधित

6

अभियुक्तों के निराकरण के समय मूल्यांकन में लिया जाएगा।

- 13. विचाराधीन आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्नू से संबंधित दस्तावेजों में प्र0पी0-07 एवं 11 के धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन प्र0पी0-05 का जब्तीपत्र प्र0पी0-12 का गिरफ्तारी पत्रक के संबंध में मूल्यांकन उक्त स्थिति में सूक्ष्मता से करने की आवश्यकता हो जाती है।
- 14. प्र0पी0—11 का धारा—27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन दिनांक 19.07.12 का लिया जाना ए०एस०आई० एन०सी० यादव अ०सा०—10 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है जिसमें जेवरात नगदी घर में रखे होने और 315 बोर की बंदूक रघुनाथ गुर्जर के ग्राम जडेरूआ थाना नूराबाद स्थित घर में छिपाकर रखना और बरामद करने की सूचना दिया जाना बताया है, प्र0पी0—11 में समय में ओवरराइटिंग उसने स्वीकार की है और सहवन से बताई है, तथा उक्त जानकारी के आधार पर अगले दिन दिनांक 20.07.12 को आरोपी कन्नू उर्फ ओमप्रकाश को ले जाकर उसके घर ग्राम पिपरोली से एक जोडी की चांदी की तोडिया जब्त कर प्र0पी0—05 का जब्तीपत्र तैयार करना कहा है, प्र0पी0—11 के ज्ञापन में जिन तथ्यों की डिस्कवरी बताई गई है, उसमें मंगलसूत्र सोने का, तोडिया चादी की और 10,000/—रूपए आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी के पास ग्राम पिपरोली में रखना और घटना में प्रयुक्त लाईसेंसी 315 बोर की माउजर बंदूक रघुनाथ सिंह गुर्जर निवासी जडेरूआ के पास रखना और बरामद कराना लेख किया गया।
- 15. ए०एस०आई० एन०सी० यादव अ०सा०–१० ने प्र०पी०–11 के ज्ञापन की जानकारी के आधार पर प्र0पी0–05 के जब्तीपत्र मुताबिक एक जोडी चांदी की तोडियां (पायल) करीबन छः तोला जिनके बीच बीच में लाल हरे नीले रंग के मीना भरे हुए थे, तथा कुंदे में एक तरफ तीन नग खोखले और घुघरू तथा नीचे की तरफ छोटे छोटे ठोस घुंघरू लटक रहे थे, उन्हें आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्नू के द्वारा अपनी पत्नी राजकुमारी से लेकर पेश करने पर जब्त करना बताए है, किंत् कथानक में रिपोर्ट में फरियादी के कथन में पायल या तोडिया की कोई पहचान नहीं बताई गई है, न ही पायलों या तोडियों में किसी प्रकार के कोई नग घुंघरू लगे थे, ऐसा भी उल्लेख नहीं है, न ही अ०सा०-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है, और न ही प्र0पी0-03 के शिनख्ती मेमो में पहचानी गई तोडियों के विवरण में कोई उल्लेख घुंघरू या नगों के बारे में किया है, ऐसे में जो तोडियां प्र0पी0–05 मुताबिक जब्त की गईं, उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं है, और इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, कि प्र0पी0-05 मुताबिक जो तोडियां जब्त की गई वे आरोपी की पत्नी की हों, हालांकि इस प्रकार का कोई दावा आरोपी व उसकी पत्नी की ओर से नहीं किया गया है।
- 16. प्र0पी0-05 के पंचसाक्षियों में मुन्नाखटीक अ0सा0-05 ने जब्ती का कोई समर्थन नहीं किया है, न ही उसने प्र0पी0-07 के ज्ञापन का कोई समर्थन किया है, दूसरा साक्षी प्रधान आर0 तेहसीलदार सिंह अ0सा0-03 है, जिसने अवश्य अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है, कि दिनांक 20.07.12 को दरोगा जी ने उसके सामने ग्राम पिपरोली में आरोपी कन्नू की पत्नी से एक जोडी चांदी की तोडियां

जब्त की थी, उस समय उनके परिवार का अन्य कोई सदस्य नहीं मिला था, वह जब्त किए गए सामान को मौके पर शील्ड करना बताता है, जबिक प्र0पी0—05 के जब्तीपत्र में जब्त एक जोड तोडियां चांदी की को शील्ड किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, न ही शील्ड किए जाने के संबंध में जब्तीपत्र के कॉलम नंबर 13 की पूर्ती की गई है, और आरोपी के घर जाकर जब्ती की कार्यवाही किए जाने संबंधी कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का भी साक्ष्य में पेश नहीं किया है, जिससे बचाव पक्ष का यह तर्क बल रखता है, कि पुलिस ने थाने पर बैठ कर दस्तावेजों की रचना कर ली और वैधानिक कार्यवाही प्रक्रिया के तहत नहीं की गई, ऐसी स्थित में प्र0पी0—05 एवं 07 को मुन्नाखटीक अ0सा0—05 से समर्थन प्राप्त नहीं है, और प्र0पी0—05 को अ0सा0—03 एवं अ0सा0—10 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, संदिग्ध शिनाख्ती को देखते हुए भी उक्त दस्तावेज विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है।

7

- प्र0पी0–07 का ज्ञापन दिनांक 21.07.12 को टी0आई0 जे0एस0 यादव के ्रहारा आरोपी से थाना केंपस में आरक्षक प्रेमसिंह अ0सा0–08 और मुन्ना खटीक अ0सा0–05 के समक्ष लिया जाना बताया गया है, जिसके संबंध में भी मुन्ना खटीक अ0सा0–05 ने समर्थन नहीं किया है, और पक्ष विरोधी है, प्रधान आर0 🎱प्रेमसिंह अ०सा०–०८ ने अपने अभिसाक्ष्य में अवश्य उसके संबंध में अभियोजन के कथानक मुताबिक साक्ष्य देते हुए टी०आई० जे०एस० यादव अ०सा०–०९ का समर्थन किया है, किंतु प्र0पी0-07 के ज्ञापन में जिन तथ्यों की डिस्कवरी बताई गई है, उसके अनुक्रम में कोई जब्ती नहीं है, क्योंकि प्र0पी0–07 में आरोपी कन्नू उर्फ ओमप्रकाश के द्वारा अपनी लाईसेंसी माउजर बंदूक अपने बड़े भाई बट्टो उर्फ रामकरण मिर्धा के हार में बने मकान में रखना और बरामद कराना बताया है. किंतु बंदूक जब्त ही नहीं की गई है, और ऐसा भी कोई तलाशी पंचनामा नहीं बनाया गया है, कि बटटो उर्फ रामकरण के मकान में या ग्राम जडेरूआ के निवासी रघुनाथ गुर्जर के मकान में आरोपी की बंदूक नहीं मिली हो, प्र0पी0–07 में दस हजार रूपए भी बरामद कराने की सूचना दी गई थी, किंतू उसे भी न तो जब्त किया गया है, न ही यह स्पष्ट किया गया है, कि बताए गए स्थान पर रूपए और बंद्क नहीं मिले ऐसे में प्र0पी0-07 एवं प्र0पी0-11 के ज्ञापन और प्र0पी0–05 का जब्तीपत्र जो कि विचाराधीन आरोपी से संबंधित है, वे प्रधान आर0 प्रेमसिंह अ०सा०–०८, टी०आई० जे०एस० यादव अ०सा०–०९ और ए०एस०आई० एन०सी० यादव अ०सा०–10 के अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 18. आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्नू को प्र0पी0—12 का गिरफ्तारीपत्रक तैयार कर प्रकरण में गिरफ्तार किया जाना टी0आई0 जे0एस0 यादव ने बताया है, गिरफ्तारी की कार्यवाही हालांकि औपचारिक होती है, किंतु विचाराधीन मामले में गिरफ्तारी के संबंध में टी0आई0 जे0एस0 यादव अ0सा0—09 का अभिसाक्ष्य हास्यास्पद स्थिति का है, क्योंकि उसे यही जानकारी नहीं है, कि आरोपी को उसने किसी स्थान पर पकडा था, उसके पैरा—12 मुताबिक जिस दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसी दिन मेमोरेण्डम कथन लेना वह कहता है, जबिक आरोपी की प्र0पी0—12 मुताबिक हुई गिरफ्तारी दिनांक 18.07.12 की है, और प्र0पी0—11 का मेमोरेण्डम कथन अगले दिन 19.07.12 का है. गिरफतारी

दिनांक का नहीं है, जबिक विवेचक ने प्रकरण की केश डायरी के आधार पर कथन दिया, इससे भी अ0सा0—09 की विवेचना और दिया गया न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विसंगतिपूर्ण हो कर लचर विवेचना को दर्शाता है, और अभियुक्तों की कोई शिनाख्ती न कराई जाना अभियोजन के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि जहां घटना कारित करने वाले अज्ञात हों वहां अभियोजित व्यक्तियों की पहचान पीडित व्यक्ति से कराई जाना अवश्यक होता है, और इस मामले में तो रिपोर्ट करते समय लूट करने वालों का कद काठी हुलिया उम्र आदि बताया भी गया था, उसके बावजूद शिनाख्त न कराना तथा, ज्ञापनों में आई जानकारी के बावजूद सभी वस्तुओं की बरामदगी का प्रयास न किया जाना, गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

- 19. प्रकरण में न तो ए०एस०आई० एन०सी० यादव अ०सा०–10 ने सुदृढ अभिसाक्ष्य दिया है, न ही विवेचक टी०आई० जे०एस० यादव अ०सा०–०९ ने स्पष्ट साक्ष्य दी है, शिनाख्ती के बिना किस आधार पर उसने विचाराधीन आरोपी को पकडा था, इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कथानक मुताबिक दो मोबाईल जिनमें एक नोकिया कंपनी का मॉडल नंबर-3110 तथा एक सेमसंग कंपनी का मोबाईल भी लूटा गया था, उसके बारे में तो कोई अनुसंधान ही नहीं ीकेया गया, जबकि नोकिया मोबाईल में सिम क्रमांक 9806234965 डली होना तथा सेमसंग मोबाईल मे सिम क्रमांक 9179329011 डली होना प्र0पी0–01 में बताया गया था, इससे भी विवेचना में लापरवाही स्पष्ट है, जो माल जब्त हुआ उसकी कोई बजन शुद्धता की जांच भी किसी पंजीकृत स्वर्णकार से या अन्य विशेषज्ञ से नहीं कराई गई है, ऐसे में विचाराधीन आरोपी का प्र0पी0-01 में बताई गई लूट की घटना में शामिल होने के संबंध में कोई विश्वसनीय और सुदृढ साक्ष्य नहीं आई है, जिससे विचाराधीन आरोपी के संबंध में अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह कतई प्रमाणित नहीं होता है, कि वह दिनांक 29-30 जुन 2012 की दरम्यानी रात में फरियादिया श्रीमती कल्पना शर्मा के ऐंचाया रोड गोहद स्थित आवास में घातक आयुध से सुसज्जित होकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसने लूट की घटना कारित की, फलत: आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्नू को विरचित आरोप धारा–392/398 सहपठित धारा–34 भा०द०वि० एवं 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
- 20. आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्तू के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 21. आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कन्नू का धारा—428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जाए।
- 22. प्रकरण में जब्त जेवरात फरियादिया श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी अवधेश शर्मा के पास दिनांक 25.02.14 को निष्पादित सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्दगी पर है, किंतु प्रकरण में अभी अन्य आरोपीगण अनुपस्थित होकर फरार हैं, इसलिए सम्पत्ति के संबंध में कोई अंतिम निराकरण नहीं किया जा रहा है।

दिनांकः 04/02/2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

ATTANDA PAROTO SUNTIN BUSH PAROT